

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ.28()परावि/प्रशा.2/पंप्रअ.स्था.पद/पार्ट-1/2019/3044 जयपुर,दिनांक: 21/8/19

:: आदेश ::

विभागीय आदेश क्रमांक 2870 दिनांक 02.08.2019 द्वारा श्री करण सिंह, पंचायत प्रसार अधिकारी का जिला परिषद अजमेर से जिला परिषद बाड़मेर किया गया स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,



(मोहम्मद अबूबक्र)

उप सचिव एवं उपायुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर संबंधित।
5. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति संबंधित।
7. संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारी को पालनार्थ।
8. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
9. आदेश पत्रावली



उप सचिव एवं उपायुक्त